तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 91/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/364) बअनवान मूलाराम बनाम भीमसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

प्रथम लिंक अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मूलाराम

बनाम

भीमसिंह इत्यादि

उपस्थित

1. श्री छैलसिंह, अधिवक्ता अपीलांट

आदेश

दिनांक 11 फरवरी 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102/2025 बअनवान मूलाराम बनाम भीमसिंह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 15 जुलाई 2025 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा सिणली चोसीरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 325/108 रकबा 3. 8850 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। अपीलान्ट की खातेदारी की जमीन में से कोई रास्ता अवस्थित नही होने के बावजूद भी प्रत्यर्थीगण ताकत के बल पर अपीलार्थी की खातेदारी में रास्ता निकालने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.04.2025 में पत्रावली के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 31.03.2025 के अनुसार "अपीलार्थी की खातेदारी का रकबा 24 बीघा है तथा मौके पर रकबे से अधिक 24.10 बीगा भूमि पर कब्जा है। विवादित आराजी के माठ से पास से रास्ता निकाला जा रहा है।" जिस सम्बन्ध में निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मौका फर्द का हवाला दिया है, वह मौका रिपोर्ट किसके आदेश से कब रेकर्ड पर आई, इसका कोई हवाला आदेश में नही दिया गया है तथा अपीलान्ट की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2025 को पेश किया गया है और पत्रावली में जो मौका फर्द मौजुद है, वह हल्का पटवारी सिणली जागीर द्वारा दिनांक 28.06.2025 को मुर्तिब की गई है। अपीलान्ट के खातेदारी के कब्जा सुदा खेत में कोई कटान मार्ग नही है, फिर भी रेस्पोडेन्टगण जबरन ताकत के बल पर अपीलान्ट के खेत में सड़क निर्माण करवाने पर आमादा है। कानूनन बिना किसी कटान के सड़क निर्माण किया जाना न्यायोचित नही है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के खातेदारी के खेत से बाहर एक कटान रास्ता निकलता है जिसे परिशिष्ठ–'अ' में बरंग लाल से बताया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रहा है, लेकिन रेस्पोडेन्टगण ताकत के बल पर जबरन अपीलान्ट के खातेदारी के खेत में से परिशिष्ठ–'अ' में वरंग हरा से बताये स्थान पर सड़क निर्माण करवाना चाहते है, जिससे अपीलान्ट की खातेदारी की जमीन अनावश्यक रूप से खराब हो जावेगी। ऐसी स्थिति में अपीलाधिन आदेश काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 22.04.2025 की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नही थी, क्योकि अपीलांट द्वारा दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद रेस्पोडेन्टगण द्वारा मौके पर कोई निर्माण व दखलदांजी नही की तो अपीलान्ट ने यही सोचा की कोर्ट में हमारे द्वारा पेश किये दावा में स्टे हो गया होगा, इसलिये रेस्पोडेंट कोई दखलदान्जी नही कर रहे है। दिनांक 29.06.2025 को रेस्पोडेन्ट ने मौका पर आकर निर्माण कार्य शुरू करने हेतु विवाद किया, तब अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलान्ट को जानकारी दी कि अपने द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में स्टे नहीं हुआ है। तब अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2025 की नकले अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.06.2025 को माँगी गई जो नकले तैयार होकर अपीलांट को दिनांक 08.07.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार ज्ञान होने व नकलें मिलने की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील स्वीकार फरमाई एवं जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2025 बअनवान मूलाराम बनाम भीमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 निरस्त फरमाया जावें एवं वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा नक्शा एवं जमाबंदी ग्राम सिणली चौसीरा तहसील बालोतरा के मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 325/106 रकबा 3.8850 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त खसरा नक्शा के विदित होता है कि अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि के माठ के सहारे–सहारे कटाणी रास्ता मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द दिनांक 28.06.2025 के मुताबिक पटवारी हल्का सिणली जागीर द्वारा अपीलांट की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजीयात का सीमाज्ञान करने पर उक्त आराजी मौके पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे से अधिक पायी गई है। यह उल्लेखनीय है कि मौके पर अपीलांट की भूमि की माठ के सहारे–सहारे रास्ता निकाला जा रहा है, न कि उसकी भूमि में से। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत सार्वजनिक रास्ता संबंधित कार्य को सुचारू रखने के लिए विधिसम्मत रूप से अंतरिम स्थगन के निवेदन को खारिज किया जाना प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 91/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/364) बअनवान मूलाराम बनाम भीमसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय को निर्देश जारी किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2025 को यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर